



इन्हें भेजें

(23)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2017

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

१५१-२२२१७

श्रीमति पार्वतीबाई पति स्व. बंसतीलाल राठोड़

आयु- 48 वर्ष करीब, धंधा- खेती,

निवासीयान- महात्मागांधी मार्ग थांदला जिला झाबुआपुनरीक्षणकर्ता

वि रु द्ध

म.प्र. शासन

.....प्रत्यर्थी

इन्हें भेजें

20-3-17

//पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता//

विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार
थांदला जिला झाबुआ द्वारा प्रकरण
क्रमांक 100/अ-68/2014-15/836 मे
दिनांक 20.04.2015 मे पारित आदेश एवं
प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक
18/2014-15 मे अनुविभागीय अधिकारी
थांदला जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश
30.09.2015 एवं विद्वान अधिनस्थ
न्यायालय, न्यायालय अपर आयुक्त
संभाग इंदौर द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण
क्रमांक 84/2016-17 मे पारित आदेश
दिनांक 09.01.2017 से अंसुष्ट होकर
सदर पुनरीक्षण पेश।



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 949-पीबीआर/17

जिला झाबुआ

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

7-4-2017

आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 9-1-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर आवेदिका द्वारा अतिक्रमण किया गया है, और अनेक अवसर देने के बावजूद भी उसके द्वारा अपना पक्ष समर्थन नहीं किया गया है । अतः आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की पुष्टि होती है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष